माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Gmail ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक 1838 /58 / गोप0 / MSU / 2021–22 दिनांक: -9-11-2022

सेवा में,

अति महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध अनुदानित / स्ववित्त पोषित महाविद्यालय

विषय –स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम / महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जैसा कि आप अवगत है कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक कैलेण्डर निर्गत किया जा चुका है। प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर के आन्तरिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाऐं शीघ्र ही सम्पन्न करायी जानी है। उक्त परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही आन्तरिक परीक्षक नियुक्त किये जाने है। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में आन्तरिक परीक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनाक : 07.11.2022 के एजेंडा बिन्दु 05 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से माननीय सदस्य डॉ0 हरिओम गुप्ता द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिस पर माननीय परीक्षा समिति द्वारा निम्नवत् निश्चय किया गया :–

"समिति के सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया तथा यह निश्चय किया गया कि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम मे कार्यरत् शिक्षकों से मूल्यांकन कार्य एवं सम्बन्धित महाविद्यालय में आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षक(स्नातक / परास्नातक) के रूप में नियुक्त किया जाये। उक्त क्षमता में कार्य कराये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित हो, स्नातक हेतु न्यूनतम तीन वर्ष तथा परास्नातक हेतु न्यूनतम पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव रखते हो तथा उन्हें नियमित रूप से खाते के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जा रहा हो। साथ ही शिक्षक से इस आशय का शपथ–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाये कि उक्त शिक्षक सम्बन्धित महाविद्यालय में वर्तमान शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक कार्यरत रहेगा। उपरोक्त शर्तों में किसी प्रकार का विचलन न किया जाये।"

अतः माननीय परीक्षा समिति द्वारा किये गये उक्त निश्चय के आलोक में समस्त अनुदानित / स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के प्राचार्यगण से अपेक्षा है कि परीक्षा समिति द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के आलोक में आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षक नियुक्त किये जाने हेतु अपने महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में नियुक्त शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र, बैंक खाते से नियमित भुगतान का विवरण(बैंक द्वारा निर्गत प्रमाणित विवरण) तथा शिक्षक द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक महाविद्यालय में बने रहने का शपथ–पत्र विश्वविद्यालय में दिनांक : 19.11.2022 तक अनिवार्य रूप से सहायक कुलसचिव (गोपनीय) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के उपरान्त प्रेषित विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय में अपने स्तर से आन्तरिक परीक्षक की नियुक्ति कर दी जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. परीक्षा समन्वयक।
02. सहायक कुलसचिव।
03. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव